फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री प्रेमसिंह **विपक्षी :– श्री लहरीलाल**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 63/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.03.2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया, शामिल फाईल रहे। विपक्षी सं. 14 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त, अब तक अनुपस्थित रहा हैं। विपक्षी सं. 14 को आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित हैं। अतः अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 9, 10, 13 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 8, 11, 12, 14 से 16 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। विपक्षी सं. 1 से 8, 11, 12, 15, 16 बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का किसी भी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया जिससे भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 4016 किता 1 रकबा 7 बीघा भूमि के पश्चिम एवं दक्षिण दिशा की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान एवं पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाड़िया)** **उपखण्ड अधिकारी** **मावली**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.04.22 12:11:25 IST
Reason: SelfAttested